तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघु हस्ताक्षर जज
	मु.नं. 149/2022
18-1-23	वकला उभय पक्षकारान् उप०। साक्ष्य वादी में वादी सांवरमल का एवं वादी साक्ष्य गवाहान में सुरेन्द्र कुमार व मोहनलाल के लिखित शपथ पत्र पेश किये गये। जो शामिल पत्रावली किये गये। वास्ते बहस पत्रावली दिनांक 23-1-2023 को पेश हो। दिलीप सिंह उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर
23.01.2023	पत्रावली आज पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। प्रकरण में बहस वकील वादी एक पक्षीय सुनी गई। वास्ते निर्णय/आदेश पत्रावली दिनांक 17.02.2023 को पेश हों। (दिलीप सिंह) उपखण्ड अधिकारी,श्रीमाधोपुर(सीकर)
17.02.2023	पत्रावली वास्ते निर्णय/आदेश हेतु पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। वकील वादी द्वारा प्रस्तुत वाद बाबत उदघोषणा, स्थाई निषेधाज्ञा एव दुरूस्ती रिकार्ड का स्वीकार किये जाने योग्य पाये जाने पर स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है। प्रकरण में विस्तृत निर्णय पृ[illegible] द्वारा लिखाया जाकर शामिल पत्राव[illegible] जारी हो। पत्रावली फैसल[illegible] दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। (दिलीप सिंह) उपखण्ड अधिकारी,श्रीमाधोपुर(सीकर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.03.09 16:10:03 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान

पीठासीन अधिकारी – श्री दिलीप सिंह (RAS)

प्रकरण संख्या	जीसीएमएस	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
149 / 2022	2022 / 0379	17.11.2022	17.02.2023

उनवान प्रकरण

1. सांवरमल पुत्र सुरजा आयु 75 वर्ष जाति मीणा निवासी ग्राम नालोट हाल निवासी ढाणी मीणान तन् ग्राम कोटडी (सिमारला) तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर

——वादी——

बनाम

1. दिनेश कुमार पुत्र गोपाल आयु 58 वर्ष
2. महेश कुमार पुत्र गोपाल आयु 50 वर्ष
3. दाखा देवी पत्नी गोपाल आयु 75 वर्ष
4. आंची देवी पुत्री गोपाल आयु 48 वर्ष
5. पुष्पा देवी पुत्री गोपाल आयु 42 वर्ष
6. माया देवी पुत्री गोपाल आयु 45 वर्ष
7. शांति देवी पुत्री गोपाल आयु 52 वर्ष
8. संतोष देवी पुत्री गोपाल आयु 56 वर्ष
9. सुशीला देवी पुत्री गोपाल आयु 54 वर्ष

समस्त जाति मीणा निवासी ग्राम नालोट हाल निवासी ढाणी मीणान तन् ग्राम कोटडी (सिमारला) तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर

10. भूमिधारी जरिये तहसीलदार श्रीमाधोपुर जिला सीकर

——प्रतिवादीगण——

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.03.09 16:10:03 IST
Reason: SelfAttested

17/02/23
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

उपस्थितः–

श्री जे0पी0गूर्जर, एड0 वादी अभिभाषक।
श्री महेन्द्र कुमार शर्मा एड0 प्रतिवादी संख्या 1 ता 9 अभिभाषक।
सरकारी पैरोकार तहसीलदार श्रीमाधोपुर प्रतिवादी संख्या 10 की ओर से

वादपत्र बाबत उद्घोषणा दुरूस्ती रिकार्ड व स्थायी निषेधाज्ञा
अंतर्गत धारा 88, 188
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

–:: निर्णय ::–

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि वादी ने एक वाद खिलाफ प्रतिवादीगण के इस आशय से प्रस्तुत किया कि कृषि भूमि खसरा नम्बर 284 रकबा 1.64 है0, ख0न0 285 रकबा 1.33 है0, ख0न0 291 रकबा 1.48 है0, ख0न0 292 रकबा 0.03 है0, ख0न0 293 रकबा 1.80 है0 कुल किता 5 कुल रकबा 6.28 है0 तन् ग्राम कोटडी सिमारला तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0 में अवस्थित है। उक्त कृषि भूमियां वादी एवं प्रतिवादीगण नम्बर 1 ता 9 के पिता/पति गोपाल और वादी के भाई औंकार व नारायण उर्फ लक्ष्मीनारायण चारो भाईयों की पैतृक भूमियां है। उक्त कृषि भूमियो के वादी एवं प्रतिवादीगण नम्बर 1 ता 9 के पिता/पति गोपाल और भाई औंकार व नारायण उर्फ लक्ष्मीनारायण बराबर–बराबर 1/4 हिस्से के खातेदार काश्तकार थे। उक्त कृषि भूमियां वादी एवं प्रतिवादीगण नम्बर 1 ता 9 के पिता/पति गोपाल और वादी का भाई औंकार व नारायण उर्फ लक्ष्मीनारायण की संयुक्त भूमि थी। वादी एवं प्रतिवादीगण के पिता/पति गोपाल और खातेदार औंकार व [illegible] ने उक्त कृषि भूमियों का विधिवत् बंटवारे बाबत् तहसीलदार श्रीमाधोपुर को [illegible] दिया था। जिस कृषि भूमियों का बंटवारा का अलग खातेदारी राजस्व अभिलेख में [illegible]न किया जाकर निम्न प्रकार खतौनी

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)

12/04/23
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.03.09 16:10:03 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अभिलेख बनाया गया है। वादी सांवरमल के 1/4 हिस्से में भूमि वर्तमान ख0न0 284/1 रकबा 1.39 है0, ख0न0 293/3 रकबा 0.16 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 1.55 है0 की खातेदारी दर्ज हुई है। प्रतिवादीगण नम्बर 1 ता 9 (पिता/पति गोपाल) के 1/4 हिस्से में भूमि ख0न0 284/2 रकबा 0.25 है0, ख0न0 285 रकबा 1.33 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 1.58 है0 की खातेदारी दर्ज हुई है। वादी के भाई औंकार (खातेदार) के 1/4 हिस्से में भूमि ख0न0 291 रकबा 1.48 है0, ख0न0 29322 रकबा 0.08 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 1.56 है0 की खातेदारी दर्ज हुई हैं। वादी के अन्य भाई नारायण उर्फ लक्ष्मीनारायण के 1/4 हिस्से में भूमि ख0न0 293/1 रकबा 1.56 है0 की खातेदारी दर्ज हुई हैं। भूमि चाह गुण ख0न0 292 रकबा 0.03 है0 की खातेदारी संयुक्त रूप से वादी एवं प्रतिवादीगण और वादी के भाई औंकार व नारायण उर्फ लक्ष्मीनारायण के बराबर–बराबर हिस्सा 1/4 खातेदारी राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई हैं। उक्त विधिवत बंटवारे में वादी के अन्य तीनो भाई हिस्सेदारान/खातेदारो से भूमि रकबा 0.01 है0 कम कर दी गयी। जिस बाबत् वादी को जैसे ही ज्ञात हुआ वादी निरन्तर अपने अन्य हिस्सेदारान से अपनी आपति जताता रहता हैं परन्तु वादी के भाई औंकार व नारायण उर्फ लक्ष्मीनारायण ने तो अपने हिस्से में रकबा 1.56 है0 भूमि बराबर–बराबर सही रूप से अंकन होना कहते हैं। प्रतिवादीगण के 1/4 हिस्से में भी रकबा 1.56 है0 भूमि ही विधिक रूप से आना चाहिये थी। जो उनकी खातेदारी में रकबा 1.58 है0 हैं अर्थात रकबा 0.02 है0 भूमि अधिक है। जबकि वादी के हिस्से में आयी भूमि ख0न0 284/1 रकबा 1.40 है0 एवं ख0न0 293/3 रकबा 0.16 है0 भूमि आयी थी परन्तु बंटवारे के पश्चात् राजस्व अभिलेख में खतौनी अलग बनाते वक्त सहवन से वादी के हक हिस्से की भूमि ख0न0 284/1 का रकबा 1.40 है0 के बजाय रकबा 1.39 है0 ही अंकन हो गया। जिससे वादी की खातेदारी भूमि में रकबा 0.01 है0 भूमि कम अंकन हो गयी। जिससे वादी को सख्त हकतलफी है। वादी अपनी खातेदारी भूमियों में रकबा 0.01 है0 की दुरूस्ती का अधिकारी है। वादी एवं प्रतिवादीगण पिता/पति गोपाल व अन्य खातेदार

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.03.09 16:10:03 IST
Reason: SelfAttested

17/02/23
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

औंकार व नारायण उर्फ लक्ष्मीनारायण के आपसी सहमति से उक्त विधिवत् बंटवारा से पूर्व बाह्मी बंटवारे होकर प्रत्येक खातेदार के 1/4 हिस्से में रकबा 1.56 है0 भूमि आयी थी और भूमि ख0न0 292 (चाह व गुण) रकबा 0.03 है0 शामिल में रही थी तथा प्रतिवादीगण नम्बर 1 ता 9 के पिता के हिस्से में शामिल ट्यूबवैल होने से उसे 0.01 है0 भूमि अधिक दी गयी थी परन्तु उक्त विधिक बटवारे पश्चात् अलग–अलग खतौनी बनी तो प्रतिवादीगण के खातेदारी में रकबा 1.57 है0 के बजाय रकबा 1.58 है0 अंकन हो गया अर्थात रकबा 0.01 है0 भूमि प्रतिवादीगण के खातेदारी में अधिक अंकन हो गयी और वादी के 1/4 हिस्से में भूमि का रकबा 1.56 है0 के बजाय रकबा 1.55 है0 दर्ज हो गयी अर्थात रकबा 0.01 है0 भूमि कम खतोनी में दर्ज हो गयी। ऐसा इस प्रकार से हो गया कि वादी के हिस्से की भूमि ख0न0 284/1 रकबा 1.39 है0 कर दिया गया जबकि उक्त भूमि ख0न0 284/1 का रकबा 1.40 है0 मौके पर हैं और ऐसा ही राजस्व अभिलेख में दर्ज होना चाहिये था तथा प्रतिवादीगण के हिस्से/खातेदारी भूमि ख0न0 284/2 रकबा 0.25 है0 अंकन किया गया जबकि उक्त ख0न0 284/1 रकबा 0.24 है0 ही मौके पर हैं। इस प्रकार वादी के काबिज काश्त हिस्से की भूमि ख0 न0 284/1 का रकबा 1.39 है0 बजाय रकबा 1.40 है0 किया जाकर प्रतिवादीगण के हिस्से/खातेदारी भूमि ख0 न0 284/2 का रकबा 0.25 है0 के बजाय रकबा 0.24 है0 किया जावे। इस प्रकार वर्तमान नक्शा ट्रेस सही रूप से बना हुआ हैं सिर्फ राजस्व अभिलेख में अंकन गलत रूप से रकबा कम हो गया जो काबिज दुरूस्तनीय है। इस प्रकार वादी अपने हिस्से खातेदारी भूमि में रकबा 0.01 है0 भूमि की खातेदारी प्राप्त करने का अधिकारी है। इस प्रकार उक्त विधिक बंटवारे में हुई त्रुटि को दुरूस्त करवाने बाबत् वादी ने प्रतिवादीगण से कई बार विनय अनुनय किया परन्तु प्रतिवादीगण टाल मटोल करते रहे और अब दुरूस्ती करवाने से पूर्णतया इंकार [illegible] इसलिए वादी का उक्त वादपत्र प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ है। वादी उक्त विधिक [illegible] की त्रुटि को दुरूस्त करवाने एवं अपनी हक हिस्से की भूमि रकबा 0.01 है0 की [illegible]दारी अपने नाम करवाने का विधिक

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.03.09 16:10:03 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)

17/02/22
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

अधिकारी है। प्रतिवादीगण द्वारा अर्सा करीब 1 माह पूर्व खातेदारी दुरूस्ती बाबत इंकार करने एवं वादी के कब्जे काश्त में अतिक्रमण का प्रयास करने पर वादी को वादपत्र प्रस्तुत करना अवश्यक हुआ। वादी का वादपत्र अन्दर मियाद प्रस्तुत हैं। प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से प्रतिबंधित किया जावे कि वादी के कब्जे काश्त खातेदारी की कृषि भूमियों में सीमा आदि में अतिक्रमण ना करे, ना दीगर से करावे। वादी ने वादपत्र पेश कर तन् ग्राम कोटडी सिमारला तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0 में अवस्थित प्रतिवादीगण की खातेदारी कृषि भूमि ख0न0 284/2 रकबा 0.25 है0 में से रकबा 0.01 है0 कम किया जाकर वादी की खातेदारी कृषि भूमि ख0न0 284/1 रकबा 1.39 है0 में उक्त रकबा 0.01 है0 जोडा जाकर ख0न0 284/1 का रकबा 1.40 है0 की खातेदारी वादी के नाम घोषित किया जाकर तदानुसार राजस्व अभिलेख(खतोनी) में दुरूस्ती फरमायी जावे। प्रतिवादीगण नम्बर 1 ता 9 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से प्रतिबंधित फरमाया जाने कि वे वादपत्र में उक्त वर्णित भूमियों में वादीगण के शांतिपूर्ण कब्जे काश्त एवं उपयोग–उपभोग में किसी प्रकार की मजाहमत पैदा नहीं करे, ना दीगर से करावें। इसलिए दावा बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा हैं।

इस पर वादी के वाद को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 1 से 9 की ओर से श्री महेन्द्र कुमार शर्मा एड0 ने ईकबाली जवाब दावा पेश किया। प्रतिवादी संख्या–10 की सम्मन तामील असालतन होकर लौटी है। बावजूद तामील हाजिर अदालत नहीं आने पर प्रतिवादी संख्या –10 के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। वादी साक्ष्य में वादी सांवरमल पुत्र सुरजा का मुख्य परीक्षा शपथ पत्र एंव वादी साक्ष्य गवाह में राजेन्द्र कुमार पुत्र नाथूलाल व [illegible] पुत्र [illegible] के लिखितशुदा शपथ पत्र पेश किये गये। प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 9 के द्वारा इकबाली जवाब दावा पेश कर दिये

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.03.09 16:10:03 IST
Reason: SelfAttested

Rathore
17/02/23
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

जाने तथा शेष प्रतिवादी संख्या 10 की तामील जरिये रजिस्टर्ड डाक से हो जाने के बावजूद हाजिर अदालतन नहीं आने पर इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाने से वादपत्र में आज ही बहस सुनी जाकर प्रकरण को स्वीकार किये जाने का निवेदन वकील वादी द्वारा अपनी बहस में किया गया है।

हमनें वादी अभिभाषक की बहस सुनी। पत्रावली का अवलोकन किया तथा वादी अभिभाषक द्वारा की गई बहस पर सगौर मनन किया। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों एवं राजस्व रिकॉर्ड अंतिम चौसाला आधार जमाबंदी सम्वत् 2074–2077 पॉच जमाबन्दियॉ, 2058–2061 की जमाबन्दियों के रिकार्ड अवलोकन अनुसार वादग्रस्त भूमियों में कृषि भूमि ख0न0 284/2 रकबा 0.25 है0 की खातेदारी प्रतिवादीगण के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में होना प्रकट होता है। उक्त भूमियॉ वादी व प्रतिवादीगण एंव इनके अन्य दो भाईयों औंकार व नारायण उर्फ लक्ष्मीनारायण की पैत्रृक कृषि भूमियॉ होना प्रमाणित होता है। उक्त प्रतिवादीगण के नाम दर्ज अधिक रकबा 0.01 है0 कम किया जाकर वादी की खातेदारी कृषि भूमि ख0न0 284/1 रकबा 1.39 है0 में उक्त रकबा 0.01 है0 जोडा जाकर ख0न0 284/1 का रकबा 1.40 है0 की खातेदारी वादी के नाम घोषित किया जाकर तद्नुसार राजस्व अभिलेख (खतोनी) को दुरूस्त किये जाने बाबत प्रतिवादीगण के द्वारा वादी के पक्ष में इकबाली [illegible] वा पेश करते हुए वादी के वादपत्र को स्वीकार किया जाना प्रकट [illegible] में साक्ष्य वादी के मुख्य परीक्षण में

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.03.09 16:10:03 IST
Reason: SelfAttested

13/02/23
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

पेश वादी सांवरमल पुत्र सुरजा का मुख्य परीक्षण में शपथ पत्र एंव वादी साक्ष्य गवाह में राजेन्द्र कुमार पुत्र नाथूलाल व मोहनलाल पुत्र चन्दाराम के लिखितशुदा शपथ पत्रों से भी वादपत्र में अंकित तथ्यों को बल मिलता है। प्रतिवादीगण पक्षकारान् के द्वारा वादी के पक्ष में प्रस्तुत इकबाली जवाब दावा व अन्य दस्तावेज साक्ष्यों के आधार पर वादी व प्रतिवादीगण पक्षकारान् के कब्जे काश्त की भूमियों की खातेदारी की घोषणा किया जाना उचित प्रतित होता है। इसी अनुसार खातेदारी राजस्व रिकार्ड में दर्ज किये जाने हेतु वादपत्र को स्वीकार किया जाकर दावा डिक्री किया जाना न्यायोचित प्रतित होता है।

—:: क्रियात्मक आदेश ::—

अतः उपर्युक्त विश्लेषण से वादी का वाद बाबत् उद्घोषणा, दुरूस्ती रिकार्ड व स्थाई निषेधाज्ञा को स्वीकार किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि अवस्थित तन् ग्राम कोटडी सिमारला तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0 में अवस्थित प्रतिवादीगण की खातेदारी कृषि भूमि ख0न0 284/2 रकबा 0.25 है0 में से रकबा 0.01 है0 कम किया जाकर वादी की खातेदारी कृषि भूमि ख0न0 284/1 रकबा 1.39 है0 में उक्त रकबा 0.01 है0 जोडा जाकर ख0न0 284/1 का रकबा 1.40 है0 की खातेदारी वादी के नाम घोषित किया जाकर तदनुसार राजस्व रिकार्ड में खातेदारी दर्ज की जाकर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किये जाने की स्वीकृति दी जाती है। तदनुसार राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.03.09 16:10:03 IST
Reason: SelfAttested

17/04/22
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

जावे। प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पावन्द किया जाता है कि वे वादी के हक हिस्सा व कब्जे काश्त में किसी प्रकार की मजाहमत नहीं करें तथा ना ही दीगर से करावें। तहसीलदार श्रीमाधोपुर को आदेश दिया जाता है कि प्रकरण में राजकीय हित एंव राजस्व अपवंचना की जॉच कर तदनुसार राजस्व रिकार्ड में नियमानुसार दुरूस्त करने की कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें। इसी अनुसार पर्चा डिक्री जारी हों। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

17/02/23

(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

यह निर्णय आज दिनांक 17.02.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

17/02/23

(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.03.09 16:10:03 IST
Reason: SelfAttested